मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

डी. क्रमांक 406-970-एक (3)-74 भोपाल, दिनांक 18 जून 1974

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अन्तर्गत विभागीय जांच में शासकीय सेवक द्वारा अन्य शासकीय सेवक की सहायता लेने के सम्बंध में.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 14 (8) के अन्तर्गत अभियुक्त शासकीय सेवक अपनी ओर से मामला प्रस्तुत करने के लिए किसी अन्य शासकीय सेवक की सहायता ले सकते हैं. ऐसा करने के लिए उसे जांच प्राधिकारी या आनुशासिक प्राधिकारी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है किन्तु जिस शासकीय सेवक को विभागीय जांच में सहायता करने के लिए बुलाया जाता है उसे अपने वरिष्ठ अधिकारी से उस कार्य के लिए अनुपस्थित रहने की अनुमति लेनी होगी. इस सम्बंध में आपका ध्यान इस विभाग के दिनांक 11 जनवरी 1971 के ज्ञापन क्रमांक 32-1090-एक (3)-70 के पैराग्राफ 2 की ओर भी आकृष्ट किया जाता है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि जांच प्राधिकारी/आनुशासिक प्राधिकारी को चाहिए कि वे सहायता करने वाले शासकीय कर्मचारी के वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करें कि उनके अधीनस्थ कर्मचारी विभागीय जांच में मददगार के रूप में कार्य कर रहा है. ऐसी सूचना प्राप्त होने पर वरिष्ठ अधिकारी का यह कर्तव्य हो जाता है कि उस शासकीय सेवक को नियत तिथि पर अभियुक्त शासकीय सेवक की सहायता करने के लिए अपने कार्य से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान करने में तब तक किसी प्रकार की आपत्ति न करें जब तक कि उनकी अनुपस्थिति से किसी शासकीय अपरिहार्य कार्य में रुकावट न पड़ती हो.

2. अभियुक्त शासकीय सेवक केवल उसी शासकीय सेवक की सहायता ले सकता है जो शासकीय सेवा में कार्यरत हो, भले ही वह निलम्बित क्यों न हो, किन्तु वह सेवानिवृत्त शासकीय सेवक की सहायता नहीं ले सकता. यदि सहायता करने वाला शासकीय सेवक विभागीय जांच के दौरान सेवानिवृत्त हो जाता है या सेवा से पृथक् हो जाता है तो उसके सेवानिवृत्त या सेवा से पृथक् होने की तिथि के बाद उसकी सहायता नहीं ली जा सकेगी.

हस्ता./-
(बल्देव सिंह)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.